

परिशिष्ट - XIV-188

वन विभाग

नियंत्रण

10 फरवरी 1960

संख्या 1115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का
 मत है कि इण्डियन फॉरेस्ट सेक्ट 1927 सेक्ट 16, 1927 की धारा-29 की
 उपधारा - 131 के अधीन अपेक्षित जमीन तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय
 लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों की खतरा हो सकता है।
 अतः उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त सेक्ट
 की धारा-80 के साथ पठित उपा धारा की उपधारा 111 द्वारा प्रा-प्त
 अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं।
 कि इस प्रकार जमीन तथा अभिलेख करने तक सेक्ट के अध्याय - 4 के अधिनियम
 संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होगी।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फीटिंग और/ फीटों में	विवरण
		3	4
1- मेरठ	X	X	X
2- मुजफ्फरनगर	X	X	X
X	X	X	X
21- पीलीभीत	1- बरेली-पीलीभीत न्यू रिया रोड	39 मील 0 फीट 69 मील 3 फीट तक	
	2- पीलीभीत-जहानाबाद	2 मील से 6 मील 2 फीट तक रोड	
	3- बीसपुर-पिलसुन्द रोड	मूल्य से 10 मील 3 फीट 330 फीट	
	4- पीलीभीत-गजरीला	मूल्य से 2 फीट 340 फीट तक	
	5- पीलीभीत-बीसपुर रोड	22 मील 5 फीट तक	
	6- खाटीवा-बनकट रोड	4 मील 4 फीट तक	
X	X	X	X

XXXXXXXXXXXX

प्रभागिय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 पीलीभीत